महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2022/ 1339 दिनांकः 15.07.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित) महाविद्यालय,
महा.ज्यो.फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः- "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार के रोकथाम पर संयुक्त कार्ययोजना का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1897/सत्तर-3-2022 दिनांक 13 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं-

1. सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान बीड़ी, शराब आदि की दुकानें न हो (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा-4(ख)।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के गेट पर इस हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये, जिसमें Quitline Toll Free No-1800-11-2356 भी अंकित हो।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाये, जिसमें 20 से 25 छात्र होंगे।
4. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरूद्ध जागरूकता अभियान चलायेंगे तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेंगे।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 व 78 के अन्तर्गत पाये गये मामलों में विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिर्पाट दर्ज करायी जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. मीडिया प्रभारी।
7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)।
8. निजी सचिव-कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
9. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
10. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

AR-8620

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-1897/सत्तर-3-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 — **लखनऊः दिनॉक 13 जुलाई, 2022**

विषयः- "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार के रोकथाम पर संयुक्त कार्ययोजना का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे बाल आयोग में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ द्वारा "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गयेः-

1. सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान बीड़ी, शराब आदि की दुकाने न हो (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा-4(ख)।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के गेट पर इस हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें Quitline Toll Free No-1800-11-2356 भी अंकित हो।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाये, जिसमें 20 से 25 छात्र होगें।
4. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरूद्ध जागरूकता अभियान चलायेंगे तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेंगे।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 व 78 के अन्तर्गत पाये गये मामलों में विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Adm.
A.R. (Admin)
Issue letter to all colleges.
14/07/2022
15.7.22

कुलसचिव

भवदीय,

12/7
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या– 1897 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।

2– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध